हेमराज केशवजी

बनाम

शाह हरिदास जेठाभाई

(बी.पी. सिन्हा सी.जे., जे.सी. शाह और एन. राजगोपाला अय्यंगर जे.जे.)

अग्रिम संविदा- संविदा की हस्तातरणीयता संविदा में कोई विशिष्ट शर्तें नहीं हैं-यदि हस्तांतरणीयता का संकेत देता है कि क्या अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जा सकता है-सौराष्ट्र मूॅंगफली और मूॅंगफली उत्पाद (अग्रिम संविदा निषेध) आदेश, 1949.

अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के साथ (मूंगफली की बिक्री के लिए) सविदा की जिन्हें तैयार वितरण संविदा के रूप में वर्णित किया गया था और जो वेरावल मर्चेंट्स एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के अधीन थे। संविदां में माल की कीमत और गुणवत्ता निर्दिष्ट की गई और एक विशिष्ट मूल्य पर डिलीवरी निर्धारित की गई। लेकिन संविदाओं में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह दर्शाता हो कि वे तीसरे पक्ष को हस्तांतरणीय थे या नहीं। प्रत्यर्थी ने इन लेन देनों के संबंध में कुछ धन राशि का दावा किया, लेकिन अपीलार्थी ने इस आधार पर दावे का विरोध किया कि संविदा अग्रिम संविदा होने के कारण सौराष्ट्र मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (अग्रिम

संविदा निषेध) आदेश, 1949 द्वारा निषिद्ध और अवैध थे। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि भविष्य की तारीख में मूंगफली के वितरण की संविदा, भले ही वे विशिष्ट गुणवत्ता के लिए और एक विशिष्ट मूल्य पर विशिष्ट वितरण के लिए थे, उन्हें अग्रिम संविदा माना जाना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता कि वे तीसरे पक्ष को हस्तांतरणीय नहीं थे।

यह माना गया कि संविदा अग्रिम संविदा नहीं थी और निषेध आदेश से प्रभावित नहीं थी। भविष्य की तारीख में माल की डिलीवरी के लिए एक संविदा भले ही एक विशिष्ट मूल्य और विशिष्ट गुणवत्ता के लिए हो, को अग्रिम संविदा की परिभाषा से केवल तभी बाहर रखा जा सकता है जब संविदा हस्तांतरणीय न हो। लेकिन संविदा में गैर-हस्तांतरणीयता के बारे में एक स्पष्ट शर्त की अनुपस्थिति से, इसे हस्तांतरणीय और अपवाद के बाहर नहीं माना जा सकता। यह आवश्यक नहीं है, न तो आदेश द्वारा और न ही आदेश के उद्देश्य द्वारा कि संविदा की परिभाषा से बाहर करने से पहले संविदा में गैर हस्तांतरणीयता के संबंध में शर्त का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह देखना होगा कि इससे पहले कि संविदा को अग्रिम संविदा की परिभाषा से बाहर रखा जा सके। इसमें एक विशिष्ट शर्त की अनुपस्थिति सम्मान निर्णायक नहीं है। आसपास की परिस्थितियों के आलोक में व्याख्या की गई संविदा की भाषा में यह माना जा सकता है कि पक्षकारों के मध्य एक करार था कि संविदा हस्तांतरणीय नहीं थी। संस्था

के नियम और विनियम जिसके अधीन विवादित संविदा थी, स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि संविदा हस्तांतरणीय नहीं थी।

खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, (1963) 3 एस.सी.आर. 183, लागू किया गया।संदर्भित,

फर्म हंसराज बनाम वासनजी (1948) 4 डी.एल.आर. बोम्बे 7, उमा सत्यनारायणमूर्ति बनाम कोथामसु सीतारामय्या एंड कंपनी (1950) 1 एम. एल. जे. 557, बोदु सीतारामस्वामी बनाम भगवती ऑयल कंपनी, आई.एल.आर. (1951)मद्रास 723, हुसैन कासम दादा बनाम विजयनगरम कमर्शियल एसोसिएशन, ए.आई.आर. (1954) मद्रास 528 और बद्दादी बैंकटस्वामी बनाम हनुरा नूर मुहम्मद बेगम, ए.आई.आर. (1956) आंध्र 9,

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नम्बर 164/1961

पूर्व बोम्बे उच्च न्यायालय (अब गुजरात) के निर्णय और डिक्री दिनांक 17 दिसम्बर 1957 की मूल डिक्री के खिलाफ दीवानी प्रथम अपीलें संख्या 14 और 24 सन् 1956.

बी.आर.एल.अयंगर, अतीकुर रहमान, जे.एल.दोशी और के.एल. हाथी, अपीलार्थी के लिए।

पुरूषोत्तम त्रिकुमदास, जे.बी. दाचंजी, ओ.सी. माथुर और रविंदर

नारायण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय शाह जे. द्वारा दिनांक 29 मार्च 1963 को दिया गया था।

अपीलार्थी ने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जुनागढ़ के न्यायालय में 72693/11/-रूपये की डिक्री के लिए मुकदमा संख्या 250/1950 यह आरोप लगाते हुए पेश किया कि अपीलकर्ता का प्रत्यर्थी के साथ ड्राफ्ट, चैक, हुंडी और नकदी के संबंध में व्यक्तिगत खाता था और उस खाते में प्रत्यर्थी पर 58,000/-मूल राशि और 5793/12/-ब्याज शेष था, जो उसके द्वारा देय था। उक्त व्यक्तिगत खाते के अलावा प्रत्यर्थी पर 16 जनवरी से 25 जनवरी 1950 के बीच उनके द्वारा भेजे गए मूंगफली के 1300 बैग की बिक्री के लेनदेन और प्रतिवादी को वितरित किए गए बोरियों और मूंगफली तेल केक की कीमत के संबंध में 8,899/15/3 बकाया था। अपीलकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि सौराष्ट्र मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (अग्रिम संविदा निषेध) आदेश द्वारा 19 नवम्बर, 1949 से अग्रिम संविदाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था और उक्त संविदा अवैध होने के कारण अपीलकर्ता क्रंेडिट और डेबिट के समायोजन या अन्तिम संविदाओं से संबंधित दरों में अन्तर से उत्पन्न होने वाले किसी भी दायित्व के अधीन नहीं था। और प्रत्यर्थी अपीलकर्ता के खाते में क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टियां करने का हकदार या अधिकृत नहीं था और यह कि उसके संबंध में उसके

द्वारा कुछ भी देय नहीं था। प्रत्यर्थी ने अपने लिखित बयान में तर्क दिया कि अपीलकर्ता के व्यक्तिगत खाते में 1,58,000 रूपये की राशि शुरू मेंे जमा की गई थी लेकिन उस खाते के आधार पर केवल रू0 18,000/- की राशि बकाया थी और यह राशि हेमराज केशवजी ऑयल मिल्स और जिनिंग फैक्ट्री के नाम पर अपीलार्थी के चालू खाते में जमा की गई थी और इसलिए व्यक्तिगत खाते में कुछ भी बकाया नहीं था, प्रत्यर्थी ने दिसंबर-जनवरी (संवत 2006) के लिए मूंगफली के बीज के निपटान में संयुक्त राज्य सौराष्ट्र के 19 नवम्बर, 1949 के आदेश का उल्लंघन नहीं किया और प्रत्यर्थी ने इस आदेश का कोई उल्लंघन नहीं किया, कि सभी लेनदेन के लिए दिसंबर-जनवरी निपटान विशिष्ट गुणवत्ता के तैयार माल में थे और निश्चित तिथियों पर डिलीवरी देने और लेने से संबंधित एक शर्त थी और ये सभी अपीलकर्ता के निर्देश पर प्रभावी थे और अपीलकर्ता सभी भुगतानों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी था। अपीलकर्ता की पक्की आडतिया के रूप में उत्तरदाताओं द्वारा उन लेनदेन के संबंध में किए गए थे। इसके बाद उन्होंने दलील दी कि संवत वर्ष 2006 में अपीलकर्ता प्रत्यर्थी की एजेंसी के माध्यम से 9000 थैले मूंगफली के बेचे थे और उसके माध्यम से 2300 थैले खरीदे थे, इसके बाद अपीलकर्ता ने केवल 2000 थैले मूंगफली की डिलीवरी दी और शेष राशि अदा नहीं की और इस कारण 9,221/7/9 रूपये का नुकसासन हुआ जिसकी प्रतिपूर्ति अपीलकर्ता को करनी थी। प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि अपीलकर्ता ने 1300 थैले

मूंगफली भेजी थी, लेकिन इन थैलों को दिसंबंर-जनवरी निपआन के 2000 थैलों की बिक्री के लिए वितरित किया गया था और उसकी कीमत और 700 थैलों की शेष राशि अपीलकर्ता के खाते में जमा की गई थी, और वह अपीलकर्ता खाते के शेष बची देय राशि को छोडकर किसी भी राशि के लिए डिक्री का हकदार नहीं था।

विचारण न्यायालय ने फैसला रू. 30,589/3/-और ब्याज का डिक्री किया।विचारण न्यायालय की डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थी के साथ साथ अपीलार्थी ने सौराष्ट्र उच्च न्यायालय में अपील की। अपीलों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय बाम्बे को स्थनांतरित कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थी की अपील को खारिज कर दिया। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की है।

अपील में 19 नबम्बर, 1949 के बाद दिसंबर 1949 और जनवरी 1050 के निपटान के लिए प्रत्यर्थी की एजेंसी के माध्यम से किए गए मूंगफली बीज के लेनदेन के लिए अपीलकर्ता के दायित्व के बारे में विवाद उठाया गया है। अपीलकर्ता का कहना है कि ये मूंगफली में वायदा लेनदेन थे और सौराष्ट्र मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट निषेध) आदेश, 1949 के तहत निषिद्ध थे, और इन लेनदेन से कोई दायित्व नहीं

बनता है जिसे अपीलकर्ता निर्वहन करने के लिए बाध्य है। प्रत्यर्थी का कहना है कि लेनदेन तैयार डिलीवरी अनुबंध थे जो कानून द्वारा निषिद्ध नहीं थे। और इसके तहत हुए नुकसान के संबंध में अपीलकर्ता प्रत्यर्थी को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य था और उन लेनदेन में हुए नुकसान को अपीलकर्ता के व्यक्तिगत खाते में विधिवत डेबिट किया गया था। प्रत्यर्थी के व्यक्तिगत खाते में प्रविष्टियों की शुद्धता के बारे में हमारे सामने कोई विवाद नहीं है। यदि प्रतिवादी का मामला साबित हो जाता है कि लेनदेन रेडी डिलीवरी लेनदेन थे, और सौराष्ट्र आदेश द्वारा निषिद्ध नहीं थे, तो उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को बनाए रखा जाना चाहिए।

सौराष्ट्र मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट निषेध) आदेश, 1949, 19 नवम्बर, 1949 को जारी किया गया था और इसे संयुक्त राज्य सौराष्ट्र तक बढा दिया गया था। खण्ड 2 (ए) द्वारा संविदा को इस प्रकार परिभाषित किया गया था, जिसका अर्थ है ''संयुक्त राज्य सौराष्ट्र में साबुत मूंगफली, मूंगफली के बीज, या मूंगफली के तेल की बिक्री या खरीद के संबंध में किया गया या पूर्ण या आंशिक रूप से निष्पादित किया जाने वाला अनुबंध'' खण्ड 3 द्वारा मूंगफली और मूंगफली उत्पादोें में अग्रिम अनुबंधों पर रोक लगा दी गई। खण्ड में कहा गया है कि ''अब से कोई भी व्यक्ति सरकार द्वारा दी गई अनुमति के तहत और उसके अनुसार ही मूंगफली या मूंगफली के बीज या मूंगफली के तेल में किसी भी अग्रिम

अनुबंध में प्रवेश नहीं करेगा।'' खण्ड 4 द्वारा आदेश के प्रकाशन की तारीख पर सभी बकाया वायदा अनुबंधों को तुरंत और ऐसी दरों पर और ऐसे तरीके से बंद किया जाना चाहिए जो संबंधित एसोसिएश्न द्वारा उनके संबंधित उप कानूनों या अन्य विनियमों के तहत संबंधित जो ऐसे अनुबंधों पर लागू हो सकते है। ट्रायल कोर्ट ने माना कि 19 नवम्बर, 1949 को या उसके बाद हुए लेनदेन में से केवल एक लेनदेन, जो 25 जनवरी, 1950 को डिलीवरी के लिए था, आदेश से प्रभावित नहीं हुआ था। विचारण न्यायालय के अनुसार शेष लेन-देन को सट्टेबाजी पर लगाने वाले लेन-देन के रूप में माना जाना चाहिए अर्थात लेन-देन जिसमें पक्षकारों का इरादा था कि अनुबंधित माल की डिलीवरी नहीं हो सकती समझ का उल्लंघन किए बिना मांग की जानी चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि आदेश में निहित निषेध के उल्लंघन के कारण लेनदेन अमान्य थे या नहीं। उच्च न्यायालय ने माना कि एसोसिएशन के नियमों के अनुसार, जिसके द्वारा अनुबंध शासित होते थे, अनुबंधित माल की डिलीवरी अनिवार्य रूप से क्रेता के गोदाम में दी जानी थी और इसलिए डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें या लदान के बिल नहीं दिये गये थे। पक्षकारों द्वारा विचार किया गया और अनुबंध विशिष्ट डिलीवरी के लिए मूंगफली की विशिष्ट गुणवत्ता या प्रकार के लिए और तैयार डिलीवरी माल के संबंध में विशिष्ट कीमत के लिए होने के कारण लेनदेन ऑर्डर से प्रभावित नहीं हुए।

खण्ड 3 के आदेश द्वारा सरकार द्वारा दी गई अनुमति के अलावा मूंगफली और मूंगफली उत्पादों के सभी अग्रिम अनुबंधों पर लोक लगा दी गई थी। यह प्रत्यर्थी का मामला नहीं है कि उन लेनदेन के संबंध में सरकार से अनुमति प्राप्त की गई थी, लेकिन उनका तर्क है कि लेनदेन ''अग्रिम अनुबंध'' नहीं थे और इसलिए आदेश के निषेध के अंतर्गत नहीं थे। अभिव्यक्ति ''अग्रिम अनुबंध'' की परिभाषा कुछ हद तक अस्पष्ट है और अभिव्यक्ति का सटीक महत्व ''जिनके खिलाफ अनुबंध तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता हैं'' का सटीक आकलन करना मुश्किल है। प्रथम दृष्टया वायदा अनुबंध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है ''किसी भविष्य की तारीख में साबुत मूंगफली, या मूंगफली के बीज या मूंगफली के तेल की डिलीवरी के लिए एक अनुबंध।'' वर्तमान मामले में विवादित अनुबंध निर्विवाद रूप से ''किसी भविष्य की तारीख'' पर मूंगफली की डिलीवरी के अनुबंध थे। लेकिन परिभाषा स्पष्ट रूप से कुछ अनुबंधों को इसके संचालन से बाहर करती है, भले ही वे भविष्य की डिलीवरी के लिए अनुबंध हों। विशिष्ट मूल्य पर विशिष्ट डिलीवरी के लिए विशिष्ट गुणवत्ता या प्रकार के अनुबंध, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें, या लदान के बिल, जिसके विरूद्ध अनुबंध तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं ड्राफ्ट्समैन को संविदा की गैर हस्तांतरणीयता की शर्त डिलीवरी और रेलवे रसीदों या लदान के बिलों के विरूद्ध संविदा में संदर्भित में निर्धारित करनी चाहिए।इसकी सराहना करना मुश्किल है।

विवादग्रस्त अनुबंध वेरावल मर्चेंट्स एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के अनुसार प्रभावित हुए थे। पक्षकारों के मध्य अनुबंध का एक नमूना प्रपत्र निर्धारित किया जा सकता हैः

"इस सौदे को एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के अधीन माना जाएगा।

संख्या 143 रेडी डिलीवरी बेरावल दिनांक 21.11.49 सेठ ठाकर हेमराज केशवजी मालिया कृपया शाह हरीदास जेठाभाई के जय गोपाल को स्वीकार करो।

हमने आज आपकी ओर से और आपके आदेश के अनुसार निम्नानुसार सौदा किया है। इसे नोट कर लें और समकक्ष के नीचे वाली पर्ची पर हस्ताक्षर कर इसे तुरंत वापस कर दें।

पी.एस. यह हमारी पसंद पर छोड दिया गया है कि जमा राशि समाप्त होने पर सौदा को बकाया रहने दिया जाए या नहीं।

1. बेचा-मूंगफली के बीज-छोटी नई फसल, दिसंबर-जनवरी तैयार-बैग 100, एक सौ बोरी रू0 31-6-3 रूपये इकत्तीस छह आने और तीन पाई -मानक 177 (पौंड) भरना

2. बेचा-मूंगफली के बीज-छोटी नई फसल, दिसंबर-जनवरी में तैयार

दिनांक 25, थैले 500, पॉच सौ थैले रूपये 31-11-6 रूपये इकत्तीस आने ग्यारह और पाई छह-मानक भराई 177 (पाठंड)

3. बेचा-मूंगफली के बीज-छोटी नई फसल, दिसंबर-जनवरी में तैयार बैग 100 सौ बैग-रू. 31-6-6 रूपये इकत्तीस, छह आने और पाई छह-मानक

एसडी. छगनलाल शाह

हरिदास जेठाभाई के लिए

प्रथम शुक्ल मार्गशीर्ष

संवत 2006,सोमवार

अनुबंध के नीचे पावती इस प्रकार हैः-

‘‘शाह हरिदास जेठाभाई, वेरावल में।

हमे आपका सौदा नोध चिठ्ठी नंबर 143 प्राप्त हो गया है तदनुसार नोट कर लिया गया है।

द्वितीय शुक्ल मार्गशीर्ष

संबंत, 2006 दिनांक 21.11.49

अनुबंध को तैयार डिलीवरी अनुबंध के रूप में वर्णित किया गया है और इसे एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के अधीन बनाया गया है। सामान की कीमत और सामान की गुणवत्ता निर्दिष्ट की जाती है। अनुबंध में ऐसा कुछ भी नही है जो यह दर्शाता हो कि यह तीसरे पक्ष को हस्तांतरणीय था या नहीं। लेकिन अपीलकर्ता का कहना है कि जहां अनुबंध इस बारे में चुप है कि क्या यह डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदों या लदान के बिलों के खिलाफ हस्तांतरणीय है, तो इसे आदेश के प्रयोजन के लिए तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने में सक्षम माना जाना चाहिए। एक अग्रिम अनुबंध माना जाता है। साररूप में तर्क है कि डिलीवरी के लिए एक संविदा भविष्य की तारीख में मूंगफली की विशिष्ट गुणवत्ता और विशिष्ट कीमत पर विशिष्ट डिलीवरी के लिए भी इसे अग्रिम अनुबंध की परिभाषा से बाहर नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुबंध में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया कि यह डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदं,े लदान के बिल तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किये जा सकते हैं। यह आग्रह किया गया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह आदेश का उद्देश्य मूंगफली और मूंगफली उत्पादों में सट्टेबाजी को प्रतिबंधित करना था, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इसने आगे के लेनदेन को प्रतिबंधित करने की मांग की थी जो तीसरे पक्ष

को हस्तांतरित किए जा सकते थे। पक्षकारों के बीच अनुबंध को पूरा करने पर जोर देकर, यह आग्रह किया जाता है कि इसका उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं में सट्टेबाजी को रोकना था। इस संबंध में सौराष्ट्र आदेश में वायदा अनुबंध की परिभाषा के समान खंडों की व्याख्या से निपटने वाले बॉम्बे, मद्रास और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों की पालना करने की मांग की गई थी, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम अनुबंधों के खिलाफ निषेध से बहिष्करण को केवल तभी प्रभावी माना जा सकता है जब अनुबंध में गैर-हस्तांतरणीयता के बारे में शर्त स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, और विशिष्ट मूल्य पर विशिष्ट डिलीवरी के लिए विशिष्ट गुणवत्ता के अनुबंधों के संबंध में भी आयातित हस्तांतरणीयता को मौन रखा गया हो। इस खंड का सबसे पहला निर्णय फर्म हंसराज बनाम वासनजी (1)[1] में बॉम्बे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का निर्णय था। उस मामले में अनुबंध स्पॉट डिलीवरी के लिए था, यानी जहां कोई डिलीवरी ऑर्डर या रेलवे रसीद या लदान के बिल आम तौर पर जारी नहीं की जाएगी। लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने माना कि स्थानांतरण पर रोक लगाने वाली स्पष्ट शर्त के अभाव में ऐसा अनुबंध आगे के अनुबंधों के निषेध से बाहर रखने वाली अधिसूचना के भीतर विफल नही होगा, क्योंकि गैर हस्तांतरणीयता से संबंधित शर्त पूरी नहीं होगी। श्री न्यायमूर्ति एम.वी.देसाई ने कहा''

1(1) (1948) 4 डी.आर.बोम्बे 7.

अनुबंधों के मामलों की एकमात्र श्रेणी जिन्हें छूट दी गई थी, उनमें एक प्रावधान के कारण सट्टेबाजी के खिलाफ गारंटी शामिल थी। कि डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें, या लदान के बिल (जो अनुबंध द्वारा विचार किए गए थे और जारी किए जाएंगे) तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किए जाने चाहिए.....'' और उन्होंने अपना निष्कर्ष निम्न प्रकार दर्ज किया

''मेरी राय में, यदि डिलीवरी ऑर्डर इन अनुबंधों के तहत विचार किए गए थे, तो वे अवैध थे क्योंकि डिलीवरी ऑर्डर गैर-हस्तांतरणीय नहीं बनाए गए थे। यदि डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें या लदान के बिल अनुबंधों के तहत शामिल नहीं किए गए थे तब छूट (जो उन मामलों से संबंधित है जहां डिलीवरी ऑर्डर रेलवे रसीदें या लदान के बिल जारी किए जाते हैं) का आवेदन नहीं है।''

इस निर्णय को उमा सत्यनारायण-मूर्ति बनाम कोथमसु सीतारमैय एंड कंपनी (1) में अनुमोदित किया गया था, जहां इस बात पर विचार किया गया था कि क्या एक विवादित अनुबंध वनस्पति तेल और ऑयलकेक (फॉरवर्ड कन्ट्रेक्ट निषेध) आदेश 1944 के अर्थ के भीतर एक 'फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट था। राजमन्नार, सी.जे. ने माना कि अधिसूचना के पीछे का उद्देश्य केवल अग्रिम अनुबंधों के मामलों को छूट देना है, जिनके संबंध में कुछ गारंटी हो सकती है कि वे अटकलों के अधीन नहीं होंगे, लगाए गए

निषेध से बाहर रखा जाएगा। अधिसूचना केवल तभी स्थापित की जा सकती है यदि अनुबंध की शर्तों में से एक यह है कि डिलीवरी ऑर्डर या रेलवे रसीद या उससे संबंधित लदान का बिल हस्तांतरणीय नहीं है। यह पर्याप्त नहीं है कि ऐसे दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि वे निषिद्ध हैं। बोधु सीतारमास्वामी बनाम भगवती ऑयल कंपनी (2) हुसैन कासम दादा बनाम विजयनगारम कामर्शियल एसोसिएशन (3) आर वद्दादी बेंकटस्वामी बनाम हनुरा नूर मुहम्मद बेगम (4) इनमें से प्रत्येक मामले में अधिसूचनाओं की पदावली और अग्रिम अनुबंध की परिभाषाएं समान नहीं थीं लेकिन ये मामले अनुबंध से पहले निर्धारित करते हैं।[2]

किसी वस्तु की भविष्य की तारीख पर डिलीवर को अन्तिम अनुबंध की परिभाषा से बाहर रखा जा सकता है, भले ही अनुबंध एक विशिष्ट मूल्य या विशिष्ट गुणवत्ता के लिए हो, यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि अनुबंध स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करके डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें या लदान बिलों का स्थानान्तरण तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।

हम यह मानने में असमर्थ हैं कि भविष्य की तारीख पर माल की डिलीवरी का अनुबंध फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट की परिभाषा में अपवाद के

2(1)(1950) 1 एम.एल.जे. 557 (2) आई.एल.आर. (1951) मद्रास 723 (3) ए.आई.आर. (1954) मद्रास 528 (4) ए.आई.आर. (1956) आंध्र 9

अंतर्गत आएगा यदि अन्य शर्तें केवल तभी पूरी होती हैं जब अनुबंध में डिलीवरी ऑर्डर रेलवे रसीदें या लदान के बिलों के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाली एक स्पष्ट शर्त दर्ज की गई हो। सौराष्ट्र सरकार द्वारा जारी आदेश में साबुत मूंगफली या मूंगफली के बीज या मूंगफली के तेल की विशिष्ट गुणवत्ता या प्रकार के लिए और एक विशिष्ट मूल्य पर विशिष्ट डिलीवरी, डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदें या लदान के बिल के लिए सभी अनुबंधों को वायदा अनुबंध की परिभाषा से बाहर रखा गया है। अनुबंध, तीसरे पक्ष को हस्तांतरणीय नहीं थे। लेकिन विधायिका ने यह शर्त नहीं लगाई कि भविष्य की किसी तारीख पर माल की डिलीवरी के अनुबंधों में यह लिखा होना चाहिए कि अनुबंध हस्तांतरणीय नहीं होंगे और इस तरह के निहितार्थ का कोई संकेत नहीं है। न ही आदेश का उद्देश्य उस शर्त को लागू करने के लिए किसी प्रमुख कारण को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त है। खरदाह कंपनी लिमिटेड बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (1) के एक हालिया मामले में, इस न्यायालय को जूट से संबंधित एक अग्रिम अनुबंध की वैधता पर फैसला देना था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट की धारा 17 की उपधारा (1) को अवैध घोषित कर दिया गया, लेकिन अधिसूचना किसी भी सामान की बिक्री या खरीद के लिए गैर-हस्तांतरणीय विशिष्ट वितरण अनुबंधों पर लागू नहीं हुई। जूट की गैर डिलीवरी से संबंधित विवाद में, जो कि उन वस्तुओं में से एक थी जिन पर

अधिनियम लागू किया गया था।[3] बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ने एक पंचाट जारी किया। पंचाट को रद्द करने के लिए एक याचिका में यह आग्रह किया गया था कि अनुबंध में स्थानांतरण पर रोक लगाने वाले एक विशिष्ट खंड के अभाव में यह दलील कि अनुबंध हस्तांतरणीय नहीं है, अनुबंध का समर्थन करने वाले पक्षकार के लिए खुला नहीं है और साक्ष्य के अलावा यह स्वीकार्य नहीं है। स्थिति स्थापित करने के लिए, और उस तर्क के समर्थन में सीतारमस्वनी बनाम भगवती ऑयल कंपनी (1) हनुमंताह बनाम यू. थिमैया (2), और हुसैन कासम दादा बनाम विजयनगरम कमर्शियल एसोसिएशन (3) का उद्दत किया गया था। बैंकटरमा अय्यर, जे. ने इस विवाद से निपटने में कहा कि

"XXX कि जब एक अनुबंध को लिखित रूप में सीमित कर दिया गया है, तो हमें पक्षकारों के बीच समझौते की शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए केवल उस लेखन को देखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह केवल वही है जो स्पष्ट रूप से और इस प्रकार निर्धारित किया गया है दस्तावेज में कई शब्द हैं जो पक्षकारों के बीच अनुबंध की एक शर्त का गठन कर सकते हैं। यदि दस्तावेज को समग्र रूप से पढा जाए, तो उसमें वास्तव में उपयोग किए गए शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पक्षकार एक विशेष शर्त पर सहमत हुए, थे कानून में ऐसा कुछ भी

3(1)(1963)38 सी.आर. 183

नहीं है जो उन्हें उस शर्त को निर्धारित करने से रोकता है। अनुबंध की शर्त, व्यक्त की गई बातों से व्यक्त या निहित हो सकती है। गगग इस प्रश्न पर कि क्या पक्षकारों के बीच कोई समझौता था कि अनुबंध गैर-हस्तांतरणीय होगा-स्थानांतरण पर रोक लगाने वाले एक विशिष्ट खंड की अनुपस्थिति निर्णायक नहीं है। जो देखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या इसे अनुबंध की उचित व्याख्या पर रखा जा सकता है, ऐसे विचारों से सहायता प्राप्त की जा सकती है जिन्हें वैध रूप से ध्यान में रखा जा सकता है कि सहमत पक्षकारों का कहना था कि इसे हस्तांतरित नहीं किया जाना था। जब एक बार यह निष्कर्ष निकल जाता है कि पक्षकारों की समझ ऐसी ही थी,[4] वोल्यूम इसे दिये जाने से, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभाव को रोकता हो।''

हमारे विचार में यह सिद्धांत सौराष्ट्र मूंगफली और मूंगफली उत्पाद (फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट निषेध) आदेश, 1949 की व्याख्या पर लागू होता है। डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीदों या लदान के बिलों के खिलाफ अनुबंध के हस्तांतरण को स्पष्ट रूप से प्रतिवंधित करने वाले खंड की अनुपस्थिति से ऐसा नहीं किया जा सकता है। अनुमान लगाया गया कि अनुबंध हस्तांतरणीय है। यह प्रश्न कि क्या कोई विवादित अनुबंध हस्तांतरणीय है।

4(1951) 1 एम.एल.जे. 147. (1) ए.आई.आर. (1954) मद्रास 87

(3) ए.आई.आर. (1954) मद्रास 528

आस-पास की परिस्थितियों के आलोक में व्याख्या की गई। अनुबंध की भाषा पर निर्भर होना चाहिये, और अनुबंध की चुप्पी को हस्तांतरणीयता का संकेत नही माना जा सकता है-यह इस अनुमान को तो बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरायेगा। कि यह हस्तांतरणीय है।

यदि ऐसा कोई शब्द निहित हो सकता है तो हमें आस पास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये। अनुबंध वेरावल मर्चेंट्स एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के अधीन किए जाते है। इन नियमों कों ''मूंगफली की तैयार डिलीवरी के नियम और विनियम''नामित किया गया है। नियम 5 में प्रावधान है कि खरीददार को विक्रेता को खाली बैग की आपूर्ति करनी होगी और उसे खाली बैग मांगने वाले विक्रेता के पत्र की प्राप्ति से 48 घंटे के भीतर खरीददार को बारदान चिट्टी की आपूर्ति करनी होगी। 48 घंटे के भीतर बारदान चिट्टी की आपूर्ति न करने की स्थिति में रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा। प्रत्येक 24 घंटे के लिए विक्रेता को प्रत्येक 100 बैग पर 2 रूपये का भुगतान करना होगा। नियम 6 वितरण से संबंधित है। विक्रेता को खरीददार के गौदाम में डिलीवरी देनी होती है और विक्रेता को अपनी लागत पर गाडियां उतारनी होती है। खरीददार को अपने गोदाम में वस्तु की रसीद प्रस्तुत करने पर चालान मूल्य का 90% भुगतान करना होगा और वजन में पाये जाने वाले दोष या कमी के लिए 10% भुगतान रखा जा सकता है (नियम 7) वस्तु क्रेता के

गोदाम मैं पहुंचने के बाद विक्रेता और क्रेता की सुविधा के अनुसार यथा शीघ्र क्रेता के गोदाम में वजन किया जाना चाहिये। एक नमूना संरक्षित करना होगा, यदि विक्रेता क्रेता के स्थान पर चयन करता है। सम्मेलन में, खरीदार और विक्रेता दोनों की सहमति यथाशीघ्र अवसर पर नमूने का विश्लेषण खरीदार के स्थान पर किया जाना चाहिए, लेकिन वस्तु के वजन के बाद, नमूने की सफाई में 6 दिन से अधिक समय नहीं लगना चाहिए और यदि कोई व्यक्ति कोई देरी करता है तो उसे प्रति 100 बैग की प्रत्येक खेप के लिए प्रत्येक 24 घंटे के लिए-8/-आठ आने का जुर्माना देना होगा। नियम 9 कमी से संबंधित है और खरीदार को नुकसान की प्रतिपूर्ति का प्रावधान करता है। नियम 10 कीमत के भुगतान से संबंधित है। वस्तु की डिलीवरी लेने पर, वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कच्ची रसीद प्राप्त करके, डिलीवरी देने वाले व्यक्ति को 90% भुगतान तुरंत करना होता है। यदि किसी वस्तु की डिलीवरी देने वाला व्यक्ति ऐसा चाहता है, तो डिलीवरी लेने वाले व्यक्ति को वस्तु के मूल्य और एसोसिएशन को स्वीकार्य के लिए जमानत देनी होगी। वजन और कमी का निपटारा होने और चालान प्राप्त होने पर खरीदार को 96 घंटों के भीतर 10% शेष राशि का पूरा भुगतान करना होगा। 96 घंटे के बाद भुगतान करने वाले खरीदार को-/12/- बारह आने प्रति माह की दर से ब्याज देना होगा। नियम 11 में ''तोली गई वस्तु' की डिलीवरी के समय सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले ''विवादों के सर्वेक्षण'' का प्रावधान है। आवेदन क्रेता और विक्रेता दोनों द्वारा किया जा

सकता है। नियम 15 में ऐसे कदम उठाने का प्रावधान है, यदि विक्रेता या खरीदार वस्तु के संबंध में निपटान के समय पाई गई ''राशि को पूरा करने में असमर्थ हो। प्रबंध समिति, विक्रेता और खरीदार को सुनने के बाद, एसोसिएशन को आवेदन प्राप्त होने पर समय विस्तार दे सकती है। ऐसे खरीदार या विक्रेता से, या एसोसिएशन विक्रेता और खरीदार के बीच स्थानीय और साथ ही सौराष्ट्र के अन्य केंद्रो के साथ-साथ परिस्थितियों पर विचार करने के बाद एक उचित दर निर्धारित और तय कर सकता है और खरीदार और विक्रेता के बीच लेनदेन का निपटान निर्धारित दर पर होगा।

खरीद और बिक्री के लिए लेनदेन एसोसिएशन और एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के तहत दो सदस्यों के बीच किया जाना है। वोल्यूम डिलीवरी क्रेता के गोदाम में देनी होती है और नमूना लेने, सर्वेक्षण करने, कीमत का भुगतान आदि के बारे में विस्तृत नियम बनाए जाते हैं। प्रथमदृष्टया, ये नियम बिक्री और खरीद के लेनदेन में विक्रेता और खरीदार के रूप में नामित व्यक्तियों पर लागू होते हैं। लेकिन अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए श्री अय्यंगर ने तर्क दिया कि अभिव्यक्ति 'खरीदार' में खरीदार से खरीदार शामिल होगा क्योंकि अनुबंध के सामान्य कानून के तहत सामान खरीदने के लिए अनुबंध का लाभ सौंपा जा सकता है और इसलिए अधिकार क्रेता के हस्तांतरणकर्ता द्वारा क्रेता को लागू किया जाएगा। लेकिन नियमों की योजना इंगित करती है कि संपूर्ण लेनदेन लेनदेन के पक्षों के

बीच होना चाहिए, न कि विक्रेता और खरीदार के अधिकारों के हस्तांतरणकर्ता के बीच। नियमों के तहत लेन-देन करने में, खरीदार पर विविध दायित्व थोपे जाते हैं, और यह स्थापित कानून है कि विक्रेता की सहमति के बिना, किसी अनुबंध का बोझ नहीं सौंपा जा सकता है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, नियमों में प्रावधान है कि खाली बैग की आपूर्ति खरीदार द्वारा की जानी है। ऐसी बाध्यता क्रेता द्वारा हस्तांतरित नहीं की जा सकती। फिर से विभिन्न नियम जुर्माने के भुगतान के लिए दायित्व प्रदान करते हैं। यदि कोई खरीदार एसोसिएशन के नियमों और विनियमों के अधीन किए अनुबंध के तहत दायित्वों को स्थानांतरित नहीं करता है, तो नियमों द्वारा निर्धारित सभी दायित्वों को अनुबंध का हिस्सा बना दिया जाता है, तो इसमें एक बहुत ही उत्सुक परिणाम सामने आएगा, जबकि एक समनुदेशिती खरीदार अपने स्वयं के गोदाम में निर्धारित दर पर डिलीवरी की मांग करने का हकदार होगा, अपनी चूक के लिए खरीदार नियमों के तहत अपने समनुदेशिती की डिफॉल्ट के लिए दंड का भुगतान करने के दायित्व सहित विभिन्न दायित्वों के लिए उत्तरदायी रहेगा। नियम 6 के अनुसार फिर से विक्रेता को खरीदार के गोदाम में माल वितरित करना होगा, और यदि अनुबंध का लाभ हस्तांतरणीय है, तो यह खरीदार के समनुदेशिती के गोदाम में वितरित करने का दायित्व होगा, जहां भी उसका गोदाम हो समनुदेशिती हो सकता है। खरीदार के समनुदेशक का गोदाम वेरावल या किसी अन्य स्थान पर हो सकता है, लेकिन विक्रेता ने

एक ऐसी दर पर अनुबंध किया है जिसमें खरीदार के गोदाम में डिलीवरी के लिए सामान्य खर्च शामिल होंगे, उन्हें असहनीय बोझ उठाने की आवश्यकता हो सकती है। जहां भी ऐसा गोदाम स्थित हो, वहां खरीदार के समनुदेशिती के गोदाम तक माल के परिवहन के लिए सभी शुल्कों को पूरा करना, ऐसी बाध्यता कभी भी नियम बनाने वाली संस्था के विचाराधीन नहीं हो सकती थी।

श्री अय्यंगर ने तर्क दिया कि नियमों के अनुसार खरीदार के समनुदेशित व्यक्ति को एसोसिएशन का सदस्य होना आवश्यक है और इसलिए वेरावल का निवासी होना चाहिए। लेकिन जिन नियमों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, वे, यदि खरीदार को अनुबंध के लाभ के समनुदेशिती को शामिल करना है, तो ऐसा कोई प्रतिबंध लगाना प्रतीत नहीं होता है। यदि एक अनुबंध के तहत लाभ के असाइनमेंट से संबंधित सामान्य कानून को नियमों पर लागू किया जाना है, तो उस योजना के बावजूद जो प्रथमदृष्टया पार्टियों के बीच प्रदर्शन पर विचार करती है, कोई कारण नहीं है कि ऐसा कोई आरक्षण किया जाना चाहिए। श्री अय्यंगर द्वारा वैकल्पिक रूप से आग्रह किया गया था कि एसोसिएशन के नियम दो अभिव्यक्तियों खरीदार और व्यक्ति का उपयोग करते हैं-और जहां भी अभिव्यक्ति 'व्यक्ति का उपयोग किया जाता है, इसमें खरीदार का एक समनुदेशिती शामिल होगा। हमारे निर्णय में यह तर्क बलहीन है। नियमों

को किसी भी सटीकता के साथ तैयार नहीं किया गया है और यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभिव्यक्ति 'व्यक्ति का उपयोग करके एक बडी श्रेणी का इरादा किया गया था। उदाहरण के लिए, नियम 5 में, खाली बैग की आपूर्ति करने का दायित्व 'खरीदार' पर लगाया गया है और उसे दायित्व को पूरा करने में विफल रहने पर जुर्माना व्यक्ति पर लगाया गया है। इसी प्रकार नियम 10 जब डिलीवरी 'खरीदार' द्वारा ली जाती है तो वस्तु प्राप्त करने वाले 'व्यक्ति को डिलीवरी देने वाले व्यक्ति को कीमत का 90% भुगतान करना होता है। बडी संख्या में अन्य नियम हैं जो 'खरीदारों के अधिकारों और दायित्वों से संबंधित हैं। वोल्यूम एक साथ व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिसका अर्थ संदर्भ में केवल खरीदार हो सकता है। हमारे निर्णय में 'व्यक्ति शब्द का उपयोग यह नहीं दर्शाता है कि वह खरीदार या उसके प्रतिनिधि के अलावा कोई और था।

नियमों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने पर हमारा मानना है कि वेरावल मर्चेंट्स एसोसिएशन के जिन नियमों और विनियमों के अनुसार अनुबंध किए जाते हैं, उनके तहत अनुबंध हस्तांतरणीय नहीं थे। अनुबंध निस्संदेह भविष्य की तारीख में मूंगफली की डिलीवरी के लिए थे, लेकिन वे विशिष्ट कीमत के लिए विशिष्ट गुणवत्ता के लिए और एसोसिएशन के नियमों के तहत विशिष्ट डिलीवरी के लिए अनुबंध थे, जिसके तहत वे किए गए थे। अनुबंध पहले से ही उल्लेखित कारणों से, तीसरे पक्ष को

हस्तांतरणीय भी नहीं थे, और आदेश के अर्थ के भीतर अग्रिम अनुबंध के रूप में नहीं माने जा सकते थे। इसलिए इस पर विचार करना अनावश्यक है कि क्या प्रत्यर्थी जिसने दावा किया था कि उसने पक्के आडतिया के रूप में कार्य किया है और इसलिए कमीशन एजेंट के रूप में विवाद में लेनदेन में हुए नुकसान के लिए अपीलकर्ता की ओर से भुगतान की गई किसी भी राशि के लिए प्रतिपूर्ति का दावा करने का हकदार था।

इसलिए हमारा विचार है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को संशोधित करने और अपीलकर्ता के मुकदमे को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था। अपील मय खर्चा खारिज की जाती है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ***मौहम्मद आज़म आर.जे.एस. ए.सी.जे.एम. कुम्हेर जिला भरतपुर*** *द्वारा किया गया है।*

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।